THE RAJASTHAN STATE COOPERATIVE BANK LTD., JAIPUR

दि राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लि.,

APEX BANK ISO 9001-2008

प्रधान कार्यालय– डीसी–1, लाल कोठी शॉपिंग सेन्टर ,टोंक रोड जयपुर

(आयोजना एवं विकास अनुभाग) **Phone :0141-2744480, 5119888 Fax:2740312**

rscb.pd@gmail.com

क्रमांक. आरएससीबी/आ0वि0./2016-2017/ दिनांक: 15-06-2016

प्रबन्ध निदेशक,
केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0,
......................(समस्त)

विषयः– संशोधित सहकार किसान कल्याण योजना के कियान्वयन बाबत।
प्रसंगः– अपेक्स बैंक का पत्र कमांक आरएससीबी/आ0वि0./2016–2017/1693 दिनांक 23.05.2016

महोदय,

हमारे प्रासंगिक पत्र दिनांक 23.05.2016 का संदर्भ ग्रहण करावे, जिसके माध्यम से संशोधित सहकार किसान कल्याण योजना की प्रति प्रेषित करते हुये लक्ष्यों के अनुरूप ऋण वितरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु सहकारिता विभाग के बजट की अनुदान मांगों का जवाब देते हुये माननीय सहकारिता मंत्री महोदय द्वारा विधानसभा में सहकार किसान कल्याण योजना लागू करने की घोषणा की गई थी। योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

1 किसानों को फसली ऋण आवश्यकताओं के साथ–साथ अन्य कृषि ऋण आवश्यकताओं हेतु यथा कृषि यंत्रीकरण, सिचांई साधन, बागवानी विकास, डेयरी विकास, चारा संग्रहण एवं भंडारण हेतु आदि हेतु ऋण उपलब्ध करवाना है।

2 काश्तकार सहकारी समिति का सदस्य हो एवं स्वयं के नाम की भूमि होने पर भूमि के डीएलसी मूल्य के 70 प्रतिशत तक का ऋण ले सकेगा। शाखा द्वारा सिंचित भूमि पर अधिकतम राशि रूपये 20 लाख तथा असिंचित भूमि पर अधिकतम रूपये 10 लाख रूपये तक का ऋण दिया जा सकेगा। टर्म ऋण के साथ अथवा केवल साख सीमा के रूप में अधिकतम रूपये 5 लाख एक वर्ष के अवधि हेतु शाखा स्तर से स्वीकृत किये जा सकते है।

3 पैक्स/ लैम्पस द्वारा सिंचित भूमि पर अधिकतम राशि रूपये 1 लाख तथा असिंचित भूमि पर अधिकतम राशि रूपये 50 हजार रूपये तक का ऋण दिया जा सकेगा। टर्म ऋण के साथ अथवा केवल साख सीमा के रूप में अधिकतम रूपये 50 हजार एक वर्ष के अवधि हेतु पैक्स/लैम्पस स्तर से स्वीकृत किये जा सकते है।

4 टर्म ऋण चुकाने की अधिकतम अवधि 9 वर्ष रखी गई है तथा साख सीमा का प्रति वर्ष लेनदेन के आधार पर नवीनीकरण किया जायेगा।

5 राज्य सरकार के वर्ष 2016–17 के बजट में बिन्दु संख्या 104 पर माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा सहकार किसान कल्याण योजना के तहत 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। ऋण पर ब्याज 11.50 प्रतिशत वार्षिक

की दर से वसूल किया जायेगा। योजनान्तर्गत टर्म ऋण का समय पर चुकारा करने वाले काश्तकारों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार की योजना अनुसार देय होगा।

कृपया आप हमारे पत्र दिनांक 23.05.2016 से प्रेषित योजना का भलीभांति अध्ययन कर बैंक कार्य क्षेत्र में योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करावें, ताकि अधिकाधिक पात्र काश्तकार योजनान्तर्गत लाभान्वित हो सके। राज्य सरकार/नाबार्ड/अपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की विजिट के दौरान योजना के संबंध में जानकारी चाहे जाने पर आप तत्काल उन्हें वाछित सूचना उपलब्ध करावें। **राज्य सरकार की बजट घोषणा से लागू इस महत्ती योजना की क्रियान्विति में कोताही बरते जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।**

भवदीय,

(विद्याधर गोदारा)
प्रबन्ध निदेशक

नं0आरएससीबी/आ0वि0/2016–17/ दिनांकः तदैव।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1 विशिष्ठ सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता, राजस्थान सरकार, जयपुर
3 निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर
4 अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैकिंग), सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर
5 महाप्रबन्धक (परिचालन /प्रशासन), अपेक्स बैंक, जयपुर
6 उप–महाप्रबन्धक(प्र0नि0प्र0/आईटी/ले0वि0/नि0प0),अपेक्स बैंक, जयपुर
7 सहा0महाप्रबन्धक/शाखा प्रबन्धक, अपेक्स बैंक, शाखा/क्षे.शा0 ....
8 प्रभारी जन–सम्पर्क प्रकोष्ठ, अपेक्स बैंक, जयपुर

प्रबन्ध निदेशक